भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3275

(दिनांक 31.03.2022 को उत्तर देने के लिए)

नए केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश

3275. श्री राजमणि पटेलः
श्री कुमार केतकरः
श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नए केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देशों को वापस लेने का सुझाव देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नए दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया है या करने का इरादा रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार नए दिशानिर्देशों में पुलिस सत्यापन को परिभाषित करने में विफलता जैसी अस्पष्टताओं को दूर करने की मंशा रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार को दिनांक 1 फरवरी, 2022 के ''केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022'' पर मीडिया निकायों आदि से कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ): पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के सदस्यों, मीडिया संघों, ऑनलाइन मीडिया के प्रतिनिधियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) को प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद ''केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022'' बनाए गए हैं।

(ङ): तीन दशकों से अधिक समय से अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार पीआईबी प्रत्यायन केवल पुलिस सत्यापन और गृह मंत्रालय की सहमति के बाद ही प्रदान किया जाता है।

*****